मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 10 /09/2024

एफ IPI/2/0012/2024ए-ग्यारह: राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर (द्वितीय चरण), जिला मुरैना में मेगा लेदर, फुटवेयर एण्ड एसेसरीज़ क्लस्टर की स्थापना किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार की योजना अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर (द्वितीय चरण), जिला मुरैना में कुल क्षेत्रफल 161.7 एकड़ पर मेगा लेदर, फुटवेयर एण्ड एसेसरीज़ क्लस्टर (एम.एल.एफ.ए.सी.) की स्थापना किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है (कार्योत्तर स्वीकृति)।

2. मेगा लेदर, फुटवेयर एण्ड एसेसरीज़ क्लस्टर की स्थापना एवं संचालन हेतु औद्यागिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधीनस्थ संस्था, एम.पी. इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को एस.पी.व्ही. बनाने तथा स्टेट इम्पिलिमेन्टेशन एजेंसी (एस.आई.ए.) की तरह कार्य किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है (कार्योत्तर स्वीकृति)।

3. एम.एल.एफ.ए.सी की स्थापना हेतु राज्य शासन के अंश राशि रू. 111.405 करोड़ का बजट/वित्तीय अंश उपलब्ध करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

4. एम.एल.एफ.ए.सी में स्थापित होने वाली इकाईयों को निम्नानुसार सहायता/सुविधा प्रदान कि जाये:-

क्र	सुविधा/सहायता	विवरण
1	**निवेश प्रोत्साहन सहायता**	उद्योग की श्रेणी की पात्रता अनुसार उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) अथवा निवेश अनुदान एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2021 अथवा तत्समय प्रचलित नीति अनुसार।
2	**भूमि प्रब्याजी**	रूपये 1.00 टोकन राशि पर भूमि आवंटन।
3	**लीज रेंट**	वार्षिक दर रूपये 1.00 प्रति वर्गमीटर (30 वर्ष तक बिना किसी वृद्धि के)।
4	**विकास शुल्क**	वार्षिक दर रूपये 20.00 प्रतिवर्ग मीटर होगा (30 वर्ष तक बिना किसी वृद्धि के)।
5	**स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क**	पट्टे की भूमि संबंधित दस्तावेजों पर प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति।
6	**विद्युत टैरिफ**	रूपये 5.11 प्रतियूनिट की स्थिर दर से विद्युत आपूर्ति।
7	**विद्युत शुल्क पर छूट**	पात्र इकाईयों को विद्युत संयोजन लेने के दिनांक से 07 वर्ष के लिये विद्युत शुल्क से छूट।

8	**जल दर**	रूपये 25.00 प्रति किलोलीटर (प्रथम 05 वर्ष तक, तत्पश्चात् 03 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि होगी)।
9	**संधारण शुल्क दर**	रूपये 8.00 प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष।
10	**वेयरहाउस शुल्क दर**	रूपये 90.00 प्रति वर्गमीटर प्रति माह।
11	**कौशल विकास एवं प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति**	05 वर्ष तक रूपये 13000 प्रति नवीन कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु उक्त सहायता केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों को प्राप्त होगी।
12	**ब्याज अनुदान**	परियोजना अंतर्गत स्थापित की जाने वाली प्लांट एवं मशीनरी हेतु किसी वित्तीय संस्था/बैंकों से लिये गये टर्म लोन पर परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 05 प्रतिशत की दर से 07 वर्ष हेतु ब्याज अनुदान।
13	**पेटेंट शुल्क**	शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति राशि रू. 5.00 लाख तक।
14	**कस्टमाईज़्ड पैकेज**	उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) अनुसार अथवा तत्संबंध उल्लेखनीय नीति में उल्लेख अनुसार निवेश के दृष्टिगत सेक्टर अन्तर्गत प्राप्त आवेदकों को कस्टमाइज पैकेज की पात्रता होगी।

5. प्रस्तावित क्लस्टर में मान्य गतिविधियों अंतर्गत लेदर फुटवेयर, बैग्स, बैल्ट, जैकेट, गारमेंट, लेदर एसेसरीज़ जैसे कि वॉच स्ट्रैप, नॉन-लेदर फुटवेयर आदि एवं लेदर से संबंधित अन्य विनिर्मित/तैयार उत्पाद होगें एवं क्लस्टर में टेनरी से संबंधित इकाईयां/गतिविधियां प्रतिबंधित श्रेणी अंतर्गत वर्गीकृत होगें।

6. मेगा लेदर, फुटवेयर एण्ड एसेसरीज़ डेव्हलपमेंट क्लस्टर, औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर (द्वितीय चरण) जिला-मुरैना में निवेशकों को भूमि के विकास शुल्क, भूमि प्रब्याजी तथा लीजरेंट में दिये जाने वाली छूट के वित्तीय भार की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जायेगी।

7. प्रस्तावित क्लस्टर में निवेशकों को भूमि/भूखण्ड/भवन आंवटन हेतु इच्छुक इकाईयों से आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किया जाकर निवेशक की क्षमता, निवेश की मात्रा, रोजगार सृजन, भूमि की आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर सम्यक विश्लेषण उपरांत भूमि/भूखण्ड/भवन आंवटन की कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	अध्यक्ष
2	प्रबंध संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. भोपाल	सदस्य
3	कार्यकारी संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय (संबंधित)	सदस्य

8. क्लस्टर हेतु प्रस्तावित सुविधाओं की उक्त कंडिका क्रमांक 4 अनुसार "स्वीकृति एवं वितरण" इकाई की श्रेणी अनुसार औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अथवा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संबंधित विभाग की प्रक्रिया अनुसार प्रदान की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से, तथा आदेशानुसार

(राघवेन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
भोपाल, दिनांक 10 /09/2024

पृ. एफ IPI/2/0012/2024ए-ग्यारह

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, ऊर्जा विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग